फार्म 'अ'

(परिपत्र दो–1 की कण्डिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश पत्र(रेव्हेन्यू ऑर्डर शीट)

अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा के न्यायालय में मामला क्रमांक 202605050100029....../2025–2026

विषय:–...................वृक्ष कटाई हेतु अनुमति बाबत्।.................मामले की श्रेणी...........अ–62...........सन..............2025–2026

ग्राम –.........रिस्दी.........बन्दोबस्त क्रमांक...........पटवारी हल्का कमांक..........18..............तहसील...................कोरबा.........

कलेक्टर का कमांक..............सन्................अनुविभागीय अधिकारी का कमांक ....सन्......2025–2026

तहसीलदार का क्रमांक.......................सन्................................नायब तहसीलदार का क्रमांक..................सन्....................

आदेश कमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही **अजय कुमार गोड़ बनाम छ0ग0शासन**	जहां आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों के हस्ताक्षर आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और इसे पालन की तारीख
08/05/2026	– आवेदक अजय कुमार गोड़, पार्षद वार्ड कमांक 36 कोसाबाड़ी MIC सदस्य, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग नगर पालिक निगम कोरबा के द्वारा वार्ड कमांक 36 कोसाबाड़ी क्षेत्र रिस्दी प्रा.शाला एवं मा. स्कूल के पास सूखा हुआ बड़ा वृक्ष है, वह पूरी तरह से खोखला हो गया है। वह कभी भी गिर सकता है, जिससे छोटे–छोटे बच्चों एवं शिक्षकों के साथ दुर्घटना कारित होने की संभावना है। चूंकि पूर्व में यह वृक्ष को काटने की अनुमति दिया गया था, लेकिन वन विभाग द्वारा अभी तक नहीं काटा गया है। रिस्दी स्कूल के बच्चों व शिक्षकों की समस्या को गंभीर पूर्वक लेते हुए वृक्ष को कटवाने हेतु आवेदन जनदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। –प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। राजस्व विभाग से स्थल निरीक्षण/संयुक्त जॉच प्रतिवेदन निर्धारित प्ररूप–घ में निरीक्षण प्रतिवेदन लिया गया। संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 27/04/2026 को प्राप्त हुई, जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन प्ररूप –घ के अनुसार ग्राम रिस्दी प.ह.नं.– 18 रा.नि.मं. कोरबा 01, तहसील व जिला – कोरबा स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 482/1/क छ.ग.शासन के नाम पर दर्ज है। जिसके आंशिक भाग पर प्राथमिक, माध्यमिक शाला रिस्दी के परिस अंतर्गत कुल –01 नग सूखे साल वृक्ष को मौके में पाया गया जो प्ररूप –घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है। –छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है। –छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित है:– (क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर,	

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

(ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं किसी पगडंडी से 6 मीटर के अंदर,
(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में,
(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा
(ड.) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल,गोठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा
(च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर– नीचे क्षेत्र पर, न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।

– आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियॉं लागू नहीं होना पाया गया।

नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

– उपरोक्त वृक्षों को छ0ग0भू0रा0सं0 की धारा 240 के अंतर्गत बने नियम 2 (सात) एवं नियम 10 के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार एक कलेण्डर वर्ष में एक खाते पर 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी उल्लेखित है। – छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

– छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 240 के नियम की कंडिका 2(सात) में ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया है, पर वृक्ष की कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

–अतः लोक हित एवं जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम– कोरबा, आवेदक अजय कुमार गोड़ पार्षद वार्ड क्रमांक 36 कोसाबाड़ी कोरबा, प्रा.शा. रिस्दी पर स्थित कुल– 01 नग सूखे साल वृक्ष को काटने की अनुमति दी जाती है।

– आवेदक स्वयं के व्यय से एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी में उक्त वृक्ष की कटाई करेगा।

–संबंधितों को अनुमति आदेश की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण पंजीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कोरबा, जिला कोरबा, छ0ग0 (छ.ग.)